Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020....356.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, मुंगेर, सीतामढ़ी, अरवल, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), लखीसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, अररिया, पूर्णियाँ, शिवहर, सुपौल, जमुई, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया एवं बाँका।

पटना, दिनांक : 05-02-2021

विषय :– आवंटन CFMS के माध्यम से प्रत्यर्पण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर 2020 तक समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी के CFMS पर निदेशालय द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा था। वर्त्तमान में बाँका को छोड़कर शेष कार्यालयों में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पदस्थापन होने के पश्चात समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्थान पर संबंधित जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी को आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अभी तक पाँच बन्दोबस्त कार्यालय यथा– मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, अररिया एवं शिवहर द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय के स्थापना से संबंधित CFMS KYU प्रेषित नहीं किये जाने के कारण CFMS के माध्यम से आवंटन निर्गत नहीं किया जा सका है।

कई बन्दोबस्त कार्यालयों, जहाँ वर्त्तमान में समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्थान पर बन्दोबस्त कार्यालयों को आवंटन निर्गत करने के पश्चात् पूर्व में समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय में CFMS के माध्यम से आवंटित की गई राशि में से कई मदो में राशि अवशेष है, इस राशि का प्रत्यर्पण CFMS के माध्यम से निदेशालय को किया जाना है। कई बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा राशि का CFMS के माध्यम से प्रत्यर्पण नहीं करते हुए सिर्फ पत्र के माध्यम से इसकी सूचना देते हुए उक्त राशि को पुनः बन्दोबस्त कार्यालय को आवंटित करने का अनुरोध किया जा रहा है।

अतः सभी समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी (बाँका को छोड़कर) से अनुरोध है कि निदेशालय द्वारा विपत्र कोड– 40–2029001020101 में आवंटित की गई राशि में से शेष राशि, जिसका उपयोग आपके कार्यालय द्वारा नहीं किया जाना है, उसका प्रत्यर्पण पत्र एवं CFMS के माध्यम से यथाशीध्र राशि वापस करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय, ताकि बन्दोबस्त पदाधिकारी के नाम से उक्त राशि को पुनः आवंटित किया जा सके।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020...356...... **पटना, दिनांकः**–05-02-2021

प्रतिलिपि :– बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, मुंगेर, सीतामढ़ी, अरवल, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), लखीसराय, मधेपुरा, जहानाबाद, अररिया, पूर्णियाँ, शिवहर, सुपौल, जमुई, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से इस पत्र में अंकित निदेशों के अनुपालन के संबंध में कार्रवाइ करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020...356........... **पटना, दिनांकः**–05-02-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020...356........... **पटना, दिनांक**05-02-2021

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप